न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—श्री सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—97 / 2022 (2022 / 335) वादपत्र

उनवान

1. रूपसिंह पिता गोपसिंह रावणा राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. भंवरसिंह पिता हरिसिंह राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिशचन्द्र टेलर— **अधिवक्ता वादीगण**

निर्णय

दिनांक 20.12.2023

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 23.05.2023 के द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की शामलाती खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1211 रकबा 0.31 है0 भूमि में वादी संख्या 1 का 19/30 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 11/30 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 19.09.2023 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादीगण अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादीगण अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 590 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1211/1 रकबा 0.19 है0 भूमि रूपसिंह पुत्र गोपसिंह रावणा राजपूत सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1211/2 रकबा 0.12 है0 भूमि भंवरसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबोध सिंह चारण)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–97 / 2022 (2022 / 335) वादपत्र

उनवान

1. रूपसिंह पिता गोपसिंह रावणा राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. भंवरसिंह पिता हरिसिंह राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 590 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1211 / 1 रकबा 0.19 है0 भूमि रूपसिंह पुत्र गोपसिंह रावणा राजपूत सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1211 / 2 रकबा 0.12 है0 भूमि भंवरसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 20.12.2023 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सुबोध सिंह चारण)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा